न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 18 / 2017

रज्जु दिनांक : 01 / 03 / 2017

निर्णय दिनांक : 07/02/2019

1. ओमप्रकाश
2. राकेश कुमार
3. अशोक कुमार
4. मुकेश कुमार

पुत्रान लक्ष्मीनारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासीगण साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- वादीगण

बनाम

1. बाबुलाल
2. मोतीराम
3. अमरचन्द
4. अशोक
5. रमेशचन्द

पुत्रान भैरुलाल, जाति माली, निवासीगण साखून तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

6. तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री भैरुलाल शर्मा
श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी संख्या 1 ल. 5 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 6 फोरमल पक्षकार हैं।

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 07/02/2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 20 7 1–2 0 7 4 के आराजी खाता संख्या 27 के आराजी 2905, 2908,

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

2909, 2912, 2922, 3005, 3006 कुल किता 7 कुल रकबा 3.41 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 मे स्थित है जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त है उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से सम्बंध व सरोकार नही है। खसरा नम्बर 3005, 3006 व 2922 के पश्चिमी ओर साखून से पडासौली डामर सडक स्थित है जिस पर वादीगण मौके पर खसरा नम्बर 3006, 3005 व 2922 मौके पर इकजाई कर हद हदूद कायम कर काबिज काश्त है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2922 रकबा 0.20 हैक्टेयर के दक्षिणी ओर के पडौसी काश्तकार है एवं नाजायज फायदा उठाने के उदेश्य से एवं वादीगण की भूमि पर अवैध निर्माण करने के उदेश्य से खसरा नम्बर 2922 के लगवा दक्षिणी सीमा पर करीब 60 ट्रोली पत्थर डालकर खसरा नम्बर 2922, 3005, 3006 ग्राम साखून में अवैध रूप से निर्माण करने के उदेश्य से पत्थर डाल दिये है तथा बजरी डालकर, नीवे खोदकर पुख्ता तामीरात/अतिकमण कर वादीगण को कब्जे बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी काश्त की भूमि है परन्तु प्रतिवादीगण लठैत व झगडालू प्रवृति के व्यक्ति होने से खसरा नम्बर 2922 में घुसते हुये जबरन अतिकमण करने पर आमादा है जिसका रोका जाकर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अगर वादीगणकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण लाठी के बल पर अवैधानिक रूप से पत्थर, बजरी डालकर व नीवे खोदकर अवैध निर्माण कर लेंगें तो वादीगण को सख्त हकतलफी होगी वादीगण न्याय से महरूम रह जायेगें एवं प्रतिवादीगण के हौसले बुलंद होगे तथा अतिक्रमियों को प्रोत्साहन मिलेगा न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 2922, 3005, 3006 ग्राम साखून में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं किसी प्रकार का खाम एवं पुख्ता निर्माण नही करने हेतु पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि स्वअर्जित भूमि है जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहे है परन्तु दिनांक 28/02/2017 का वाका है कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि खसरा नम्बर 2922, 3005, 3006 पर दक्षिणी ओर जबरन पत्थर डालने, झुपडिया बनाने एवं जबरन अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ हैं जिससे उक्त वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

वादीगण ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "वादीगण का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 डिक्री इस आशय की सादर फरमायी जावें कि आराजी खसरा नम्बर 2922 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3005 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3006 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.63 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून, तहसील दूदू में वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग आवागमन व काश्त में व्यवधान, बाधा उत्पन्न नही करें न ही कब्जे से बेदखल करें तथा खसरा नम्बर 2922 के दक्षिणी और मेड को न तोडे न ही अतिक्रमण करने का प्रयास करें न ही खाम व पुख्ता तामीरात झुपडिया या किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य करें, न स्वंय करें, न नौकर, चाकर, एजेन्ट से करावें। अगर प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के आदेश से गुरेज करें तो एवं दौराने वाद किसी प्रकार का निर्माण कर लेवें तो अविलम्ब तुडवाया जाकर पुलिस ईमदाद वादीगण को दिलवायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 18/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट साखून में पेश हुयी। दिनांक 02/08/2017 को प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी से करवाये जाने के आदेश दिये गये। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड एडी से तामिल की रसीदें पेश की, जो शामिल पत्रावली की गयी। प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामिल के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। वकील वादीगण साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पैरोकार फोरमल पक्षकार हैं।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 27 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 27 के अनुसार विवादित आराजी के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं, वादीगण ने अपने वाद में अंकित किया है कि "प्रतिवादीगण विवादित आराजी के पडौसी खातेदार काश्तकार है, वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन घुसते हुये अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा वादीगण को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है, इसलिये उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

जावें।'' प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामिल के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित नही हुये है तथा न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति पेश हुयी हैं, यदि प्रतिवादीगण को वादीगण के वाद बाबत किसी प्रकार की आपत्ति होती तो अपना उज्र जरूर प्रस्तुत करते, लेकिन ऐसा नही हुआ, चूंकि वादीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने वालों को कानूनन पाबन्द किया जाना चाहिये। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2905, 2908, 2909, 2912, 2922, 3005, 3006 कुल किता 07 कुल रकबा 3.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत उत्पन्न नही करें न काश्त में बाधा उत्पन्न करें, न बेदखल करें तथा खसरा नम्बर 2922 के दक्षिणी ओर मेड को नहीं तोडे न ही अतिक्रमण करने का प्रयास करें तथा न ही किसी प्रकार का खाम या पुख्ता निर्माण नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

पुलिस ई वर्स, 250, चौड़ा रास्ता, जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अन्तिम डिक्री

(ऑ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ३३

व अजलास श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत (R.A.S)

1. ओमप्रकाश, 2. राकेश कुमार 3. अशोक कुमार 4. सुरेश कुमार पुत्रान लक्ष्मी नारायण शर्मा बनाम 1. बाबूलाल, 2. मोतीराम 3. अमरचन्द 4. अशोक 5. रमेशचन्द पुत्रान भैरुलाल माली निवासान 6. तहसीलदार ३६

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नं. 18/17 सन्

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल पाई रूबरू श्री भैरुलाल शर्मा एड.

व हाजरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री त्रिलोकसिंह चौधरी एड.

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 2905, 2908, 2909, 2912, 2922, 3005, 3006 कुल किता 07 कुल रकबा 3.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम सारंगपुरा तह० ३३ जिला जयपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मजाहमत उत्पन्न नहीं करे, न काश्त में बाधा उत्पन्न करे, न बेदखल करे तथा ख.न. 2922 के दक्षिण ओर मेड़ से कोई तोड़ न ही अतिक्रमण करने का प्रयास करे तथा न ही किसी प्रकार की वाद की भूमि का हस्तान्तरण नहीं करे।

आज तारीख 07-02-2019 सन् को जारी किया गया।

दस्तखत

मोहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प दरखास्त सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी ... (मुहर)

नोट—इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner